दिनांक	कार्यवाही
.07.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 17.08.22 को पेश हो।
17.08.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 12.09.22 को पेश हो।
12.09.22	पत्रावली पेश [redacted] वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित है/नहीं। आज [redacted] अधिकारी महोदय [illegible] कार्य में व्यस्त [redacted] [illegible] अतः [redacted] [illegible] हैं। 10.10.22 रीडर न्यायालय एस.डी.ओ., [redacted]
10.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।
17/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल की गई। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी [illegible] वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 31.10.22 को पेश हो।
31/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल व [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 383/2021
दायर दिनांक :– 18.08.2021

अनवान

लक्ष्मी पत्नि संतकुमार मीणा नि. झूपडिया, गाडोली तहसील जहाजपुर

प्रार्थी............

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी............

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए.** ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री शाकिर अहमद, एडवोकेट प्रार्थी

:: **आदेश** :: दिनांक 31.10.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पीपलून्द प. ह. पीपलून्द तहसील जहाजपुर मे वर्तमान आराजी खसरा सं. 2281/8 रकबा 5 बीघा, खसरा सं. 3230/2281 रकबा 2–00 बीघा कुल किता 2 रकबा 7–00 बीघा कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदार प्रार्थीया लक्ष्मी पत्नि संतकुमार मीणा सा झुपडिया गाडोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के नाम खातेदारी से राजस्व रेकोर्ड में दर्ज है प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज होकर कास्त करती चली आ रही है। ग्राम पीपलून्द प. ह. पीपलून्द तहसील जहाजपुर में वर्तमान आराजी खसरा सं. 3048/2281 रकबा 84–10 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर के नाम खातेदारी से राजस्व रेकोर्ड मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 मे वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी खसरा सं. 2281/8 रकबा 5–00 बीघा, खसरा सं. 3230/2281 रकबा 2 बीघा पर प्रार्थीया और इसके परिवारजनों के आने.जाने के लिये 30 फिट चौडा रास्ता नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार मुख्य मार्ग सडक से होकर अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर के नाम दर्ज बिलानाम गैर काबिल कास्त भूमि 3048/2281 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर से होकर प्रार्थीया की भूमि खसरा सं 3230/2281 रकबा 2 बीघा तक जाता है जोकि उक्त रास्ता लगभग 50 वर्ष पुराना होकर प्रार्थीया के पूर्व के खातेदार व इनके पुवर्ज व उक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात से स्वंय प्रार्थीया प्रार्थनापत्र की पैरा सं. 1 मे वर्णित भूमि तक आने जाने के लिये इसी रास्ते का इस्तेमाल करते है। उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे मे दर्ज नही है। जिससे पैरा सं. 2 मे वर्णित अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर के नाम दर्ज बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि आराजी सं. 3048/2281 रकबा 84 बीघा 10 बिस्वा पर अन्य अतिक्रमी आये दिन कांटो की बाड इत्यादी लगाकर तहसीलदार जहाजपुर की भूमि पर कब्जा करके उक्त रास्ते को बन्द करके प्रार्थीया को तंग.परेशान करते है। जिससे प्रार्थीया को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीया मुख्य मार्ग सडक से होकर प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 मे वर्णित अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर के नाम दर्ज बिलानाम गैर काबिल कास्त भूमि आराजी सं. 3048/2281 रकबा 84–10 बीघा पर 30

उपखण्ड अधिकारी
(भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

फीट चौडा रास्ता स्वयं की खातेदारी भूमि पैरा सं. 1 में वर्णित खसरा सं 3230/2281 रकबा 2 बीघा तक आने जाने के लिये एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने फसल चारा इत्यादि घर लाने के लिये राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज कराना चाहती है एवं नक्शा लट्ठासीट व राजस्व रेकॉर्ड मे उक्त रास्ते की जमीन को अभिलिखित कराना चाहती है जिससे की पैरा सं. 2 मे वर्णित भूमि से रास्ते के रूप मे कम की जाने वाली व रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि के लिये पैरा सं 2 के खातेदार अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर को उक्त भूमि की कीमत प्रार्थीया अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ता प्रार्थीया के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं होकर प्रार्थीया को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थनापत्र की पैरा सं. 1 में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। दिनांक 15.08.2021 को ग्राम पीपलून्द के ही कुछ अतिक्रमियों ने प्रार्थनापत्र की पैरा सं. 2 में वर्णित अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर के नाम दर्ज बिलानाम गैर काबिल कास्त भूमि आराजी सं. 3048/2281 रकबा 84 बीघा 10 बिस्वा पर कांटो की बाल लगाकर जबरन कब्जा कर लेने से प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आने जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया। तब प्रार्थीया ने उक्त अतिक्रमियों से उक्त रास्ता खुलासा करने हेतु कहा तो इन्होने साफ मना कर दिया जिससे प्रार्थीया को वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार मुख्य मार्ग सड़क से होकर प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की पैरा सं. 1 मे वर्णित खसरा सं. 3230/2281 रकबा 2 बीघा तक आने जाने कृषि यंत्र लाने ले-जाने व उपयोग उपभोग हेतु पैरा सं. 2 मे वर्णित अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर की बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि आराजी सं. 3048/2281 रकबा 84 बीघा 10 विस्वा पर होकर 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीया को दिये जाने एवं उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में व नक्शा लटटा शीट में रास्ते के रूप में अभिलिखीत किये जाने हेतु आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 2281/8, 3230/2281 कुल किता 2 रकबा 1.1331 हैक्टैयर में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 13.10.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 3048/2281 में से रास्ता देने पर 0.0048 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ.न. 2281/87 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने कांटो की बाड लगा कर रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

nned with CamScanner

प्रार्थी अपने आ.न. 2281/8 में आने जाने हेतु ख. न. 3048/2281 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 2281/8 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। और प्रार्थी की आ.न. 2281/8 में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी सं. 3048/2281 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 2281/8 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2281/8 3230/2281 कुल किता 2 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में आने जाने के लिये आ. न. 3048/2281 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 3048/2281 में से रास्ता देने पर कुल 0–01 बीघा (0.0048 हैक्टेयर) भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 3048/2281 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0–01 बीघा (0.0048 हैक्टेयर) की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 3400 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 22 / मु.न. 383 / 2021 दिनांक 31.10.2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 383 / 21 अनवान लक्ष्मी पत्नि संतकुमार मीणा नि. झूपडिया, गाडोली बनाम तहसीलदार जहाजपुर में रास्ता तरमीम करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2281 / 8 3230 / 2281 कुल किता 2 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में आने जाने के लिये आ. न. 3048 / 2281 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 3048 / 2281 में से रास्ता देने पर कुल 0–01 बीघा (0.0048 हैक्टेयर) भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 3048 / 2281 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0–01 बीघा (0.0048 हैक्टेयर) की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 3400 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा / अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner